बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014;

संख्या– FC/13/2022-803

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
राँची, पिन–834002

पटना 14, दिनांक– 23/10/2024

विषय– श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या–02, प्लॉट संख्या–647, थाना संख्या–703, थाना–गुरूआ में गया–शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.015 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/152066/2022/166, दिनांक 23.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/152066/2022/166, दिनांक 23.02.2024 द्वारा की गयी पृच्छाओं का निराकरण निम्नवत् है–

क्र० सं०	पृच्छाएँ	निराकरण
1	As per Gooogle Earth Images, clearing of forest land proposed for diversion is apparent that can possibly be vilation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. This needs clarification ……………….	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 4660, दिनांक 25.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा की गई Violation में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेरघाटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1986) की धारा–33 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत वन वाद संख्या–105, दिनांक 19.06.2024 दर्ज किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 5682, दिनांक 19.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारतीय वन अधिनियम, (बिहार संशोधन अधिनियम) 1989 की धारा–33 1 (C) एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 190 की धारा–2 के तहत वन वाद संख्या–105 / 2024 की प्रति उपलब्ध कराया गया है, इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	Corrected kml file of proposed CA area needs to be uploaded on PARIVESH portal. Also, the ……….	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 4660, दिनांक 25.07.2024 द्वारा CA Scheme का GPS Reading सुधार कर उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

ज्ञापांक– FC/13/2022- 803 दिनांक– 23/10/2024

प्रतिलिपि : सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/13/2022- 803 दिनांक– 23/10/2024

प्रतिलिपि : श्री अजीत कुमार, पिता–श्री किशोर यादव, मौजा–समदा, थानार–गुरूआ, जिला–गया, पिन–824231 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/24

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालयः–वन प्रमंडल पदाधिकारी,गया वन प्रमंडल,गया।
सेवा नगर, न्यू करीमगंज, गया (फोन न0–0631-2950310) ई–मेल - gaya dfo@gmail.com

पत्रांक 5682

प्रेषक,

शशिकान्त कुमार, भा0व0से0
वन प्रमंडल, पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल, गया।

Mail

सेवा में,

सहायक वन संरक्षक,
कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
बिहार, पटना।

गया / 823001,दिनांक.....19.9.24

विषयः– श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या–2, प्लॉट संख्या–647, थाना न0–703, थाना–गुरुआ में गया–शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel pvt ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के अन्तर्गत 0.015 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–FC / 13 / 2022–648 दिनांक 09.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित रिटेल आउटलेट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में की गई उल्लंघन से संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेरघाटी द्वारा भारतीय वन अधिनियम् (बिहार संशोधन अधिनियम्) 1989 की धारा–33 1 (C) एवं वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 की धारा–2 के तहत् वन वाद संख्या–105 / 2024 दर्ज किया गया है जिसका विस्तृत जॉच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19/9/24

वन प्रमंडल पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल,गया।

18 अनुसूचि –फारम संख्या -21

Forest Case No-105/2024

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।

.....................गया वन प्रमण्डल, गया।

अपराध प्रतिवेदन संख्या:–......12P...... तिथि:– 19.07.2024.

........शेरघाटी......{ राजस्व केन्द्र

रेंज

अपराध का स्वरूप

बिना अनापति प्रमाण पत्र के अधिसूचित वन भूमि में पेट्रोल पम्प का निर्माण के कम में अवैध अतिकमण के विरूद्व अभियोजन प्रतिवेदन।

पता चलने की तिथि और समय:– ......29.06.2024....करीब78.30 बजे पूर्वाह्न।

घटना स्थल :– ग्राम–समदा (शेरघाटी–चेरकी रोड)।

किसने पता लगाया:– श्री अनिल कुमार, वनरक्षी।

वन अधिनियम् और भारतीय दण्ड संहिता का निर्देश

भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम् 1989 की धारा (33, 41 एवं 42)

अभियुक्तों का नाम:–

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	अभियुक्तों का पता:–			
			ग्राम	पोस्ट	थाना	जिला
1.	अजित कुमार	किशोरी यादव	भलुआ	–	बोधगया	गया

साक्षियों का नाम:–

1 श्री पियुष, वनपाल शेरघाटी वन प्रक्षेत्र।

2 श्री अनिल कुमार, वनरक्षी शेरघाटी वन प्रक्षेत्र।

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने के दूसरी ओर है।

9553

18 अनुसूचि –फारम संख्या -21

विस्तारपूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट

[यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर ली जाय]

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय:– माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शेरघाटी के न्यायालय में दर्ज कराए गये वन वाद संख्या 105/2024 से संबंधित अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:– वनरक्षी द्वारा समर्पित जूर्म प्रतिवेदन संख्या–951 दिनांक–29.06.2024।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक–29.06.2024 को प्रातः–7.30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं अपने अधिनस्थ वनरक्षियों के साथ गस्ती के कम में समदा पहुँचे तो देखा कि शेरघाटी चेरकी रोड मौजा–समदा के किनारें बॉये तरफ देखा कि पेट्रोल पम्प निर्माण हेतू मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। जिसका खाता नं0–02 प्लॉट संख्या–647 थाना नं0- 703 है। घटना स्थल पर जॉच पड़ताल किये तो पाया गया कि अपराध रिपोर्ट के कॉलम संख्या तीन में दर्ज अभियुक्त के द्वारा अधिसूचित पथ के किनारे अवैध रूप से मिट्टी भराई कर अवैध अतिक्रमण का कार्य किया गया है। जिसका लम्बाई 10मीटर चौड़ाई 7.5मीटर एवं गहराई 01 मीटर है। ज्ञातव्य हो कि शेरघाटी चेरकी रोड सूरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित है।

अनुसंधान:–

इस संबंध में घटना की जॉच मेरे द्वारा दिनांक–29.06.2024 को स्वयं एवं जूर्म प्रतिवेदन में नामित गवाह के साथ घटना स्थल पर जाकर किया। जॉचोपरान्त घटना स्थल पर पाया गया कि पार पृष्ठ पर अभियुक्तों के कॉलम में अंकित अभियुक्त के द्वारा मौजा–समदा सड़क के किनारे बॉये तरफ जो सूरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित है उक्त स्थल पर पेट्रोल पम्प का निर्माण हेतु मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। घटना स्थल का मुआयना करने पर पाया कि मौजा –समदा शेरघाटी चेरकी रोड के किनारे सुरक्षित वन भूमि के रूप में सूरक्षित है जिसका अधिसूचना संख्या–S.O.400 Date-31.12.96 है। नामित अभियुक्त के द्वारा 10मीटर लंबाई एवं 7.5 मीटर चौड़ाई कुल–75 वर्गमीटर × 2=150 वर्गमीटर अर्थात 0.015 हे0 वन भूमि में पेट्रोल पम्प का निर्माण हेतु मिटटी भराई का कार्य किया गया है।

इस संबंध में संबंधित वनरक्षी श्री अनिल कुमार, के माध्यम से पार पृष्ठ पर अंकित अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा जॉच हेतु बुलाया गया परन्तु अभियुक्त के द्वारा स्वयं एवं किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतित होता है कि अभियुक्त को अपने बचाव में कुछ नही कहना है।

अभियुक्त द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के अधिसूचित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करना वन (सरक्षण) अधिनियम् 1980 की धारा 02 एवं भारतीय वन अधिनियम–1927 (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) की धारा 33-1(C) का घोर उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय, दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध है। श्री मान से अनुरोध है कि अभियुक्त के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कि जाय।

अतः श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

आपका विश्वासी

[signature] 29/06/24

वन परिसर पदाधिकारी
वन परिसर गुरुआ।

अनुलग्नक:–

1 इस कार्यालय का पत्रांक–06 दिनांक–29.06.2024 का छायाप्रति।
2 वनरक्षी द्वारा समर्पित जूर्म प्रतिवेदन सं0–951 दिनांक–29.06.2024।
3 घटना स्थल का मानचित्र।

वनभूमि बर्बादी– 0.015 हे0
राजस्व औसतन:– 25000 रूपये
क्षतिपूर्ति दो गुणा:– 50000 रूपये
कुल:– 75000 रूपये
(पचहतर हजार रूपये मात्र)

Forest . 105 [illegible]

कार्यालय:-वन परिसर पदाधिकारी वन परिसर, ~~शेरघाटी~~ गुरुआ।

पत्रांक :- 06 शेरघाटी–824211 / दिनांक :- 29/06/2024

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, शेरघाटी।

द्वारा:–उचित माध्यम
प्रसंग:– वनरक्षी का अपराध रिपोर्ट संख्या–951 दिनांक–29.06.2024।

विषय:–शेरघाटी–चेरकी गया पथ (मौजा–समदा) के किनारे बाये तरफ में पेट्रोल पम्प के निर्माण के क्रम में अवैध अतिक्रमण से संबधित वन वाद दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन अपराध रिपोर्ट के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक–29.06.2024 को प्रात 07:30 बजे पूर्वाहन में स्वयं, अपने अधिनस्थ वनरक्षियों के साथ गश्ती के क्रम में समदा पहूँचे तो देखा कि शेरघाटी चेरकी गया पथ (मौजा–समदा) के किनारे बाये तरफ में पेट्रोल पम्प हेतु मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। जिसका खाता नं0–02, प्लॉट नं0–647, थाना संख्या–703 है। घटना स्थल पर जॉच पड़ताल किये तो पाया गया कि अपराध रिपोर्ट के कॉलम संख्या तीन में दर्ज अभियुक्त के द्वारा अधिसूचित पथ के किनारे अवैध रूप से मिट्टी भराई कर अवैध अतिक्रमण का कार्य किया गया है। जिसका लंबाई–10 मिटर एवं चौडाई–7.5 मीटर है। ज्ञातव्य हो कि शेरघाटी चेरकी गया पथ मुख्य पथ सुरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित है।

अभियुक्त कि द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के सुरक्षित वनभूमि में गैर वानिकी कार्य करना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 02 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) की धारा 33 के तहत संज्ञेय एवं गैरजमानतीय अपराध है।

अतः श्रीमन् से अनुरोध है कि अपराध रिपोर्ट संख्या 951 दिनांक–29.06.2024 की मूल प्रति को स्वीकार करने की कृपा की जाय। उक्त घटना से संबंधित अभियोजन प्रतिवेदन केश के जॉचोपरान्त उचित माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक यथोक्त :–
(1)वनरक्षी का जूर्म प्रतिवेदन संख्या।

आपका विश्वासी
[signature]
वन परिसर पदाधिकारी
गुरुआ वन परिसर, गुरुआ

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी वन परिसर गुरुआ।
ज्ञापांक :- 06 दिनांक :- 29.06.2024
प्रतिलिपि :- वनों क्षेत्र पदाधिकारी वन प्रमंडल शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

कार्यालय - वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वन प्रक्षेत्र, ...

पत्रांक: - 267 दिनांक:- 30.06...

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, ... प्रमण्डल, ...

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

अग्रसारित

[illegible signature]

30-06-...

वन क्षेत्र पदाधिकारी

वन प्रक्षेत्र, -[illegible]

ule XXIII-FROM No. 21A

[illegible] / 1/2/5 [illegible]

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार

951

Piyush 29/06/24 नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।

जुर्म नं०:- 951

तारीख 29/06/2024

1. घटना स्थल - समदा (शेरघाटी - चेरकी रोड)

2. पकड़ने का समय और तारीख :- प्रातः 7.30 बजे पूर्वाह्न दिनांक

3. नाम अपराधी और उसके पिता का नाम :- (i) अजित कुमार, पिता - किशोरी यादव

और पता :- ग्राम - मलुआ, थाना - बोधगया, जिला - गया

4. जप्ती माल, अगर कोई :- X

5. जप्ती माल का जिम्मेवार :- X

6. नाम गवाह और उसके पिता का नाम :- (i) श्री दीपक पाण्डेय वनरक्षी

और पता :- (ii) सुश्री आरती कुमारी वनरक्षी

7. तफ़सील और बयान जुर्म :- सेवा में,

वन परिसर पदाधिकारी
वन परिसर गुरुआ

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक को प्रातः 7.30 बजे पूर्वाह्न मे वरीय पदाधिकारी एवं सहयोगी वनरक्षी के साथ गश्ती के क्रम मे जब समदा ग्राम मे पहुँचे तो ग्रामीणों

ने देखा की शेरघाटी - चेरकी गया पथ (मौजा - स्तम...
किनारे वाले तरफ मे पेट्रोल पम्प का निर्माण हेतु ...
भराई का कार्य किया गया है। जिसका खाता सं० - ...
प्लॉट सं० - 647 थाना सं० 703 तथा मौजा समदा है।
घटना स्थल पर जाँच पड़ताल किये तो पाये की
अपराध प्रतिवेदन के क्रम सं०-03 मे दर्ज अभियुक्त द्वारा
सुरक्षित वन भूमि मे बिना अनापति प्रमाण पत्र
के सुरक्षित वन भूमि सड़क के किनारे अवैध रूप
से मिट्टी भराई कर अतिक्रमण का कार्य किया
गया है। जिसके प्रवेश पथ की लम्बाई 10m एवं
चौड़ाई 7.5m है तथा निकास पथ की लम्बाई 10m
एवं चौड़ाई 7.5m है जिसका कुल रकबा - 150 वर्ग
मीटर अर्थात 0.015 हे० है

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि
वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने
की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी
अनिल कुमार वनरक्षी
उपवन परिसर गुरुआ

मौजा - समदा
थाना नं० - 703
अंचल - गुमला
जिला - गुमला

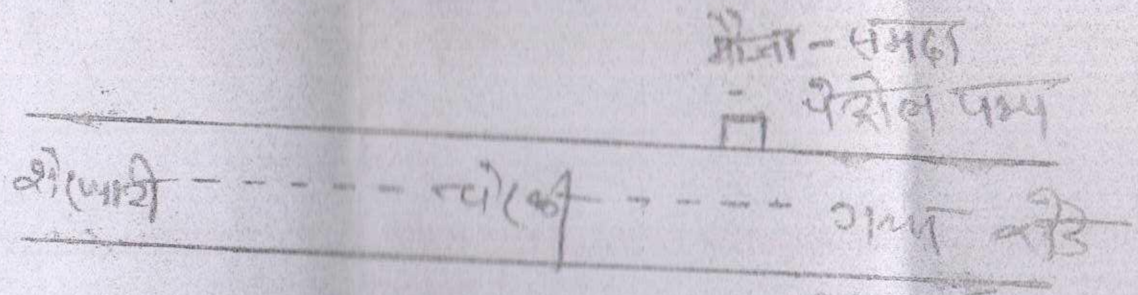

समर्पित

धनपाल गुप्ता

अभियुक्त का ब्यान

18 अनुसूचि –फारम संख्या -21

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।

..............गया वन प्रमण्डल, गया।

अपराध प्रतिवेदन संख्याः–....................
तिथिः–.......................

.........शेरघाटी......{ राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्याः–..............
तिथिः–.......................

...............उप..... वन संरक्षक..................गया......... वन प्रमण्डल
की जप्ति रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

....प्रभारी पदाधिकारी।
.........शेरघाटी......{ राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्याः–.......................
तिथिः–.......................

...............................मजिस्ट्रेट...को
आदेशिका तामिल करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेंजे भेजी जाती है–

....प्रभारी वन संरक्षक
....गया...वन ...प्रमण्डल ...गया ।

<u>नोटिस</u>

कार्यालय :- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेरघाटी वन प्रक्षेत्र, शेरघाटी।

अपोजिट,ब्लॉक ऑफिस शेरघाटी,गया मोबाईल नं0-9006492947,ई-मेलः- sherghatirof@gmail.com

पत्रांकः-283 दिनांकः- 12.07.2024

प्रेषित,

(1) अजित कुमार पिता-किशोरी यादव, ग्राम-भलुआ थाना-बोधगया, जिला-गया।

इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि वनपाल गुरूआ द्वारा आपके विरूद्व शेरघाटी चेरकी रोड सुरक्षित वन भुमि में अवैध रूप से पेट्रोल पम्प निर्माण के कम में वन भूमि को अतिक्रमण कर मिट्टी खुदाई करने संबंधित अपराध प्रतिवेदन दिनाँक-12/07/2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक-18/07/2024 को वनपाल द्वारा समर्पित अपराध प्रतिवेदन का जाँच कार्यालय अवधि में वन प्रक्षेत्र कार्यालय शेरघाटी में किया जायेगा।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सुचित किया जाता है कि दिनाँक 18/07/24 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपनें बचाव में पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होनें पर यह समक्षा जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा एक पक्षियें निर्णय लेते हुए वनपाल द्वारा समर्पित अपराध प्रतिवेदन को आपके विरूद्व उचित कानुनी कारवाई हेतु सक्षम न्यायालय को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

कुलदीप चौहान
12-07-2024
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
वन प्रक्षेत्र इमामगंज।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया।

महाशय,

वनपाल गुरुआ द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वन प्रक्षेत्र शेरघाटी के कार्यालय से प्राप्त विस्तृत अपराध प्रतिवेदन के आलोक में दिनाँक -18.07.2024 जाँच की तिथि निर्धारित करते हुए अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांकः—283 दिनाँकः—12.07.2024 के माध्यम से नोटीस भेजा गया।

परन्तु निर्धारित तिथि दिनाँकः -18.07.2024 को अभियुक्त उपस्थित नही हुये है। इससे स्पष्ट है कि ये कानुन को नही मानतें है और ये अपराधिक प्रवृति के हैं। स्थल की जाँच की गयी है, घटना सत्य पाया गया है।

मामला इनके विरूद्ध अवैध रूप से वनभूमि अतिकंमण कर खुदाई करने सबधित है। अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से शेरघाटी चेरकी रोड में वन भूमि अतिकमण कर पेट्रोल पम्प निर्माण के कम मे मिट्टी खुदाई का अवैध कार्य किया गया है। अभियुक्त द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के अधिसूचित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करना वन (संरक्षण) अधिनियन् 1980 की धारा 02 एवं भारतीय वन अधिनियम—1927 (बिहार संशोधन अधिनियम—1989) की धारा 33-1(C) का घोर उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय, दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध है।

अतः अनुरोध है कि जुर्म प्रतिवेदन संख्याः—951 दिनाँकः—29.06.2024 मे नामजद अभियुक्त के विरूद्ध कड़ी कानुनी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में अग्रसारित करने की कृपा की जा सकती है।

आपका विश्वासी

कुलदीप चौहान
10-07-2024

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
वन प्रक्षेत्र, इमामगंज।

18 अनुसूचि –फारम संख्या -21

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।

...............गया वन प्रमण्डल, गया।

अपराध प्रतिवेदन संख्याः– 13P

तिथिः– 19.07.2024

........शेरघाटी......{ राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्याः– 207

तिथिः– 19.07.2024

...............उप..... वन संरक्षक...................गया.......... वन प्रमण्डल
की जप्ति रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

कुलदीप चौहान
19-07-2024

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी ....प्रभारी पदाधिकारी।
वन प्रक्षेत्र, शेरघाटी ....शेरघाटी......{ राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्याः–.......................

तिथिः–.......................

..............................मजिस्ट्रेट...को
आदेशिका तामिल करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेंजे भेजी जाती हैः–

....प्रभारी वन संरक्षक
....गया...वन ...प्रमण्डल ...गया ।